

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त, मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तराखण्ड।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 देहरादून: दिनांक 14 सितम्बर, 2020
विषय: कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं उपचार हेतु Ivermectin (Tab)
औषधि का प्रयोग किए जान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कुलपति, हेमवती नन्दन बहुगुणा, चिकित्सा, शिक्षा विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून की अध्यक्षता में तकनीकी विशेषज्ञों की आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक दिनांक 10.09.2020 में की गयी संस्तुति के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि Ivermectin (Tab) औषधि का प्रयोग निम्नवत् किया जाए:-

1. Prophylaxis in contact Person:- पुष्ट रोगी के सम्पर्क में आए व्यक्तियों (contacts) में रोग के सम्भावित संक्रमण से बचाव हेतु 200 µg./Kg Body Weight की दर से पहले व सातवें दिन, रात्रि भोजन के 02 घण्टे उपरान्त वयस्क व्यक्ति में औसतन 12mg. औषधि प्रदान की जानी चाहिए।
2. For Prophylaxis in health care Providers:- कोविड-19 के उपचार एवं नियंत्रण में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों में संक्रमण से बचाव हेतु 200 µg./Kg Body Weight की दर से पहले, सातवें व 30 वें दिन तथा आवृत्ति क्रम में प्रति माह में एक बार (कोविड-19 ड्यूटी करने की अवधि तक) Ivermectin प्रयोग की जानी चाहिए।
3. Prophylaxis for Containment Zone:- Ivermectin को 200 µg./Kg Body Weight सम्पर्क में आने के पहले, सातवें दिन, रात्रि भोजन के 02 घण्टे उपरान्त, औसतन 12mg. औषधि प्रदान की जानी चाहिए।

नोट:-

गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा 02 वर्ष से कम आयु के बच्चों को Ivermectin (Tab) औषधि नहीं दी जानी है।

कृपया उक्तानुसार संस्तुतियों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

2- उपरोक्त के अतिरिक्त समिति द्वारा कोविड चिकित्सालयों में भर्ती कोविड संक्रमित रोगियों के उपचार स्तरों के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति के आलोक में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 के संक्रमित रोगियों, जो कोविड चिकित्सालयों (DCH level 3) में भर्ती किये गये हैं, के उपचार के विभिन्न स्तरों के बारे में संलग्न परिशिष्ट में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,
(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या- /xxviii-1/2020-01(06)/2020 टी0सी01तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री,उत्तराखण्ड।
3. कुलपति, हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. महानिदेशक,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक,चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. मिशन निदेशक,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ/गढवाल मण्डल नैनीताल/पौड़ी।
8. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी/श्रीनगर।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव(प्र0)।

शासनादेश संख्या-१५१७ XXVIII-1/2020-01(06)/2020 टी0सी01 दिनांक 14 सितम्बर,2020 का परिशिष्ट।

The care level of COVID-19 patients admitted in COVID Hospital (DCH, Level-3) in the State of Uttarakhand will follow the following guidelines :-

Category	Name of Patients Care/Progressive Patients care	Basic Supportive Treatment and Facilities	Indication for Transfer to Next Higher Category
I	Isolation Ward /General ward (withOxygen Support) (Mild to Moderate)	Oxygen administration via Nasal prongs or oxygen mask,maximum 4 L/Min. Intermittent monitoring of SPO2 with pulse oxymeter and breathing frequency 3-4/day	RR>24/min SPO2<92% with O2 Or other co morbidity uncontrolled
II	IMCU (Intermediate Care Unit) (moderate case)	Oxygen administration withoxygen mask >4 L/min or non rebreathing Mask High Flow Mask, monitoring of SPO2 with pulse oxymeter and monitoring of BP,PR,RR,RBS 4-6 hrly	RR > 24/min SPO2< 92% with HFM ARDS mild moderate or uncontrolled co-morbidity.
III	HDU (High Dependency Unit) (Moderate Cases)	Oxygen support with HFNC/BiPAP therapy monitoring of all vitals, 2-4 hrly other co-morbidity treat	RR > 28-30/min SPO2<90% c BiPAP ARDS (Severe/Moderate) Uncontrolled co morbidity
IV	ICU with ventilator ready (severe cases)	Bi PAP support therapy/HFNO therapy continuous monitoring of all vials. Other co morbidity (severe) treatment.	Severe ARDS SPO2< 90% cBiPAP or patient in ventilator

V	ICU with ventilator support (Severe Cases)	Ventilatory support and treatment of uncontrolled severe co-morbidity/shock treatment Continuous monitoring of all vitals (invasive/non invasive)	Not required
---	---	--	--------------

NOTE- Any patient with shock should be treated in category IV or ICU.

